पंजाब नैशनल बैंक



punjab national bank

Head Office: Share Department, Finance Division, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 | E-mail : hosd@pnb.co.in

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

This is with reference to our notice dated August 17, 2018 convening an AGM of the shareholders of the bank on Tuesday, September 18, 2018, point F, G, I and P of the explanatory statement for item No. 3 (Page No. 9) i.e. seeking approval of the shareholders for issue of Equity shares to the employees on ESPS basis, the notice shall be read as follows:

F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING

The offer price of the Shares will be based on the Market Price of the Shares one day before the date of the meeting of the Committee wherein the offer of shares will be approved. The Committee to decide the offer price, will take an average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the equity shares quoted on NSE during the two weeks preceding the relevant date (i.e. the date of the meeting of the committee on which the offer is made) and shall provide a discount of 25% on the price so calculated. However, in any case the offer price shall not go below the par value of Equity Share of the Bank which is Rs. 2/- per share.

G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE:

The Employees to whom Shares are offered under the Scheme shall make an application to the Bank in the prescribed Application Form.

The period within which the application for seeking allotment of shares under this Scheme should be submitted by the Employees shall be maximum of 45 days from opening of the offer.

I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARS, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE;

The maximum number of shares to be issued under this scheme shall not be more than 10,00,00,000 (Ten Crores) fully paid up Equity shares of Rs. 2/- each.

The Committee shall have powers to decide the allotment process to the best interest of the employee and the Bank subject to the condition that none of the employee shall be allotted shares more than 1% of the issued capital of the

P. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARS;

Under the proposed scheme, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is not applicable. The bank shall use fair value method to value its shares.

All other information as stated in the above referred notice dated August 17, 2018 remains unchanged and should be read along with this corrigendum.

This corrigendum is also available on the bank's website viz. https://www.pnbindia.in and on Stock Exchanges' website viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

By order of the Board of Directors For Punjab National Bank

Date: 05.09.2018 Place: New Delhi

(PKSharma)

Chief Finance Officer



पंजाब नैश्ननल बैंक 🚺 punjab national bank

प्रधान कार्यालयः शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 ई-मेलः hosd@pnb.co.in

वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना का शुद्धिपत्र

मंगलवार, 18 सितंबर, 2018 को बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक के आयोजन से संबंधित हमारे दिनांक 17 अगस्त, 2018 के नोटिस के व्याख्यात्मक कथन की मद संख्या 3 (पृष्ठ संख्या 9) के बिंदु एफ,जी,आई एवं पी अर्थात ईएसपीएस आधार पर कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने के सन्दर्भ में है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएः

एफ. अतिरिक्त मूल्य,एसएआर मूल्य खरीद मूल्य या मूल्य निर्धारण सूत्रः शेयरों की पेशकश कीमत, समिति की शेयरों की पेशकश को मंजूरी देने वाली बैठक की तिथि से एक दिन पहले शेयरों के बाजार मूल्य पर आधारित होगी। पेशकश मूल्य तय करने के लिए समिति, प्रासंगिक तिथि (अर्थात समिति की बैठक की तारीख जिस पर प्रस्ताव दिया जाएगा) से पहले के दो सप्ताह के दौरान एनएसई पर उद्भृत इक्विटी शेयरों की मात्रा भारित औसत कीमतों के साप्ताहिक उच्चतम और निम्नतम मान का औसत लेंगी और इस प्रकार गणना की गई कीमत पर 25% की छूट देगी। हालांकि, किसी भी दशा में पेशकश मूल्य बैंक के इक्विटी शेयर के सममुल्य रुपये 2/-प्रति शेयर से कम नहीं होगा ।

जी. कार्य अवधि और कार्य की प्रक्रियाः

जिन कर्मचारियों को योजना के तहत शेयरों की पेशकश की गई है , वे निर्धारित आवेदन फार्म में बैंक को आवेदन करेंगे।

कर्मचारियों को प्रस्ताव आरम्भ होने के अधिकतम 45 दिनों की अवधि के भीतर इस योजना के अंतर्गत शेयर आवंटित करने के लिए आवेदन करने होंगे।

आई. प्रति कर्मचारी और कुल मिलाकर जारी किए जा सकने वाले विकल्पों, एसएआर ,शेयरों, जैसा भी मामला हो, की अधिकतम संख्या :

इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले शेयरों की अधिकतम संख्या रूपये 2 / -के पुर्णतः चुकता 10,00,00,000 (दस करोड़) इक्विटी शेयर से अधिक नहीं होगी। समिति के पास कर्मचारी और बैंक के सर्वोत्तम हित में आवंटन प्रक्रिया का निर्णय लेने की शक्तियां होंगी इस शर्त के अधीन किसी भी कर्मचारी को बैंक की जारी पूंजी के 1% से अधिक शेयर आवंटित नहीं किए जाएंगे।

पी. विधि जो कम्पनी अपने विकल्प या एसएआर के मूल्य ज्ञात करने के लिए उपयोग करेगी:

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है और इस तरह ऑप्शन का मूल्यांकन या एसएआर लागू नहीं है। बैंक अपने शेयरों का मूल्य निर्धारण करने के लिए उचित मूल्य विधि का उपयोग करेगा। 17 अगस्त, 2018 के उपरोक्त नोटिस में दी गई अन्य सभी जानकारी यथावत है

और इस शुद्धिपत्र के साथ पढ़ी जाए ।

यह शुद्धिपत्र बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेंबसाइट पर www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

> निदेशक मंडल के आदेश से कृते पंजाब नेशनल बैंक

तिथि: 05.09.2018 स्थानः नई दिल्ली

हस्ता / -(पी के शर्मा) मुख्य वित्त अधिकारी

138 6-8-18